

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2022/14)

प्रकरण संख्या:- 76/2022

तारीख दायर:- 10/03/2025

निर्णय दिनांक:-30/10/2025

उनवान

1. कमलाशंकर पिता मांगीलाल जाति पानेरी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. हनुमानप्रसाद पिता मांगीलाल जाति पानेरी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता हीरालाल गुर्जर निवासी चारनिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. सायर पत्नी भंवरलाल कलाल निवासी थाना का मण्ड तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. छगनसिंह पिता नाथूसिंह निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्यामलाल पिता शंकर निवासी बाघाना
5. बाबूलाल पिता हीरालाल जोशी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. गोविन्द प्रसाद पिता मूलचंद पानेरी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. राजेन्द्र प्रसाद पिता मूलचंद पानेरी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. नीरज कुमार पिता क्रांतिप्रसाद पानेरी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. राजकुमार पिता रामेश्वर पानेरी निवासी पानेरियों का मोहल्ला देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम देवगढ़ पटवार मण्डल देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 119 आराजी संख्या 1177, 1460, 1491, 175,175, 863 कुल कित्ता 06 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 09 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने



दि

से अप्रार्थी संख्या 02 से 09 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब का अवसर बंद किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम राजस्व ग्राम देवगढ़ पटवार मण्डल देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्ध में खाता संख्या 119 आराजी संख्या 1177, 1460, 1491, 175,175, 863 कुल किता 06 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तो पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पड़ोसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्णगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



110/25
(मोहकम सिंह सिन्हा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्ध (राज.)